

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट

- छिड़काव कार्मियों का प्रशिक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 10 के आधार पर)-स्तम्भ- 5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य के कालाजार प्रभावित 31 जिलों के विगत पाँच वर्षों में कालाजार प्रभावित ग्रामों के कुल 32.39 मिलीयन जनसंख्या को अच्छादित करने में कुल 1782 श्रेष्ठ क्षे. कार्यकर्ता तथा 8910 क्षे. कार्यकर्ता संलग्न किये गये । पूर्व में छिड़काव के एक दिन पूर्व छिड़काव कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत कुल (1782 + 8910) 10692 छिड़काव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तदनुसार 50 छिड़काव कर्मी प्रति वैच की दर से कुल 214 वैच में 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जायगा।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-2000 रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- एक दिन के प्रशिक्षण में एक वैच पर कुल 2000/- रु. व्यय का प्रस्तावित है ।

नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) –

राज्य स्तरीय कम्पोजिट

– बहुदेशीय कार्यकर्ता ;आशा का

प्रशिक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 10 के आधार पर)–स्तम्भ– 7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5–10 वाक्य अधिकतम) – कार्यक्रम के संचालन में आशा कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है अतः कालाजार के उपचारात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है । परिशिष्ट X के स्तम्भ 6 में जिलावार आशा कार्यकर्ता की संख्या दर्शायी गई है । कुल 52,065 आशा कार्यकर्ता को 50 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच की दर से 1041 बैच में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)–2000 रूपया /Batch

वित्तीय दिशा– प्रति बैच को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जायगा। जिसपर 2000/- रु. प्रतिव्यय की दर से व्यय होगा । 1. नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0– तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा । राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर –98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट
प्रशिक्षण

- पंचायती राज्य के सदस्यों का

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 9 के आधार पर)-स्तम्भ- 6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य में पंचायती राज्य के लागू हो जाने से इसके सदस्यों को सरकारी कार्य के देख-रेख का दायित्व दिया गया । कालाजार के करीब 90 प्रतिशत रोगी ग्रामों से ही आते हैं अतः पंचायत स्तर के सदस्यों को कालाजार के निरोधक एवं उपचारात्मक कार्रवाई से रू-ब-रू अवगत कराने की दृष्टि से प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया जा रहा है । संलग्न परिशिष्ट IX के स्तंभ 3 से 6 में पंचायती राज के सदस्यों का जिलेवार आंकड़ा दिया गया है जिन्हें प्रशिक्षण का प्रस्ताव है । परिशिष्ट के अवलोकन से विदित होगा कि पंचायती राज के कुल 13860 सदस्यों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है । 50 सदस्य प्रति बैच की दर से कुल 277 बैच में प्रशिक्षण दिया जायगा ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-2000 रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- प्रति बैच को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जायगा । एक बैच के प्रशिक्षण पर 2000 रु. व्यय होगा ।

नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी । 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट
प्रशिक्षण

- बुनियादी स्वा. निरीक्षक एवं निगरानी निरीक्षक

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 7 के आधार पर)-स्तम्भ- 11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य के 31 कालाजार प्रभावित जिलों में मलेरिया योजना के 118 बुनियादी स्वा. निरीक्षक एवं 18 निगरानी निरीक्षक कार्यरत है। इस तरह 136 प्रशिक्षणार्थी को 27 प्रति बैच अनुसार 5 बैच में प्रशिक्षण दिया जायगा। यह प्रशिक्षण दो दिनों का होगा।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)-30000 रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- प्रशिक्षण पर प्रति बैच 30000 रु. व्यय का प्रस्तावीत है। नियमानुसार राज्यस्तरीय निययोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निययोपरांत। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निययोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) —

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट

— स्वा. कार्यकर्ता का प्रशिक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 7 के आधार पर)—स्तम्भ— 16

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — राज्य के मलेरिया योजनान्तर्गत 31 कालाजार प्रभावित जिलों में कुल 103 बुनियादी स्वा. कार्यकर्ता, 33 निगरानी कार्यकर्ता, 43 क्षेत्रीय कार्यकर्ता तथा 19 श्रे. क्षे. कार्यकर्ता कार्यरत है। इस तरह कुल 198 कार्यरत को प्रशिक्षित किया जाना है। 25 प्रशिक्षणार्थी प्रति वैच की दर से 8 वैच में प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रशिक्षण अवधि दो दिनों की होगी।।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—30000 रूपया /Batch

वित्तीय दिशा— प्रशिक्षण पर प्रति वैच 30,000 रु. व्यय का प्रस्तावीत है। नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।। भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट

- प्रयोगशाला प्रावैधिक का प्रशिक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 7 के आधार पर)-स्तम्भ- 6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया योजनान्तर्गत 31 कालाजार प्रभावित जिलों में कुल 47 प्रयोगशाला प्रावैधिक कार्यरत है । 20 प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से कुल 2 बैच को 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जायगा ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-125000रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- एक बैच के प्रशिक्षण पर कुल व्यय 1,25,000/- होगा । नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट
प्रशिक्षण

- प्रयोगशाला प्रावैधिक को त्म त्पमदजंजपवद

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 7 के आधार पर)
)-स्तम्भ- 7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया
योजनान्तर्गत 31 कालाजार प्रभावित जिलों में कुल 47 प्रयोगशाला प्रावैधिक कार्यरत है। प्रयोगशाला
प्रावैधिक को Re Orientation प्रशिक्षण भी दिया जायगा। जिसमें 2 बैच के प्रशिक्षणार्थी को 5 दिनों का
प्रशिक्षण दिया जाना है। एक बैच के प्रशिक्षण पर 75,620/- व्यय होगा।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-75620रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- एक बैच के प्रशिक्षण पर 75620६ व्यय होगा। नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त
कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के
अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C.
Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-
NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया
गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि
के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा
सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण
कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजिट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए-क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय के कम्प्यूटर के रख रखाव हेतु

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया योजना में पूरे राज्य में चार क्षेत्रीय मलेरिया पदा. का कार्यालय है। क्षेत्रीय म. पदा. द्वारा अपने क्षेत्राधीन जिलों के सफल पर्यवेक्षण की दृष्टि से क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय में एक-एक कम्प्यूटर क्रय का भी प्रस्ताव है जिससे संबंधित क्षे. म. पदा. अपने अधिनस्थ जिलों का अद्यतन स्थिति का व्योरा रखेंगे तथा प्रत्येक सप्ताह स्थिति से राज्य मुख्यालय को अवगत करायेगे । कम्प्यूटर के रख रखाव हेतु एक मुश्त पाँच हजार रुपया का प्रवधन किया गया है।

ईकाई राशि(रु० रूपया में) 5000 रूपया / Computer

वित्तीय दिशा- 1. नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरूण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट

- मलेरिया निरीक्षकों का प्रशिक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 7 के आधार पर)
)-स्तम्भ- 4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य के 31 कार्यालय प्रभावित जिलों में कुल 114 म. नि. कार्यरत है। भारत सरकार के दिशा निदेशक के अनुसार 20 प्रशिक्षणार्थि को एक 0S/ में प्रशिक्षण दिया जायगा। इस तरह कुल 6 बैच होंगे। प्रशिक्षण अवधि 1 दिनों की होगी। वर्ष में दो बार प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। पूरे वर्ष में 6 बैच को दो बार प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में)-69500रूपया /Batch

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Mission Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - प्रचार-प्रसार

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-13

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -
समय-समय पर कालाजार के संबंध में जनसंघरण में जनकारी दैनिक समाचार पत्रा, रेडियो, टी.वी. इत्यादि के माध्यम से देना आवश्यक है । सभी जिलो के कालाजार प्रभावित गावो में छिड़काव की तिथि की सूचना स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रो में दो दिन प्रकाशित किया जायेगा। इस निमित्त बजट में राशि का प्रावधन किया गया है ।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में)-400000 रूपया

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा । राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए-क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय के लिए भाड़े पर गाड़ी लेने हेतु

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया योजना में पूरे राज्य में चार क्षेत्रीय मलेरिया पदा. का कार्यालय है। क्षेत्रीय म. पदा. द्वारा अपने क्षेत्रार्थन जिलों के सफल पर्वक्षण की दृष्टि से भाड़े पर गाड़ी लेने हेतु राशि का प्रस्ताव है

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-20000 रूपया /ZMO

वित्तीय दिशा- जिसके तहत प्रति क्षे. म. पदा. 20,000/- की दर से राशि की प्रावधान किया जा रहा है । नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट,राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए -

जेनरेटर क्रय

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य मुख्यालय में बिजली बाधित होने पर कार्य का सम्पादन बंद हो जाता है। इस निमित्त एक जेनरेटर क्रय का प्रस्ताव है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-50000 रूपया

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पौनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए -जेनरेटर सुविधा ए इंधन पर होने वाले व्यय बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य मुख्यालय में बिजली बाधित होने पर कार्य का सम्पादन बंद हो जाता है। जेनरेटर के लिए इंधन पर होने वाले व्यय Rs. 4000/- प्रति माह की दर से बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-4000 रूपया /Month

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - पर्यवेक्षण गाड़ी मरम्मती हेतु बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)-स्तम्भ-10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य स्तर पर के पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण पर होने वाले व्यय के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में दिया जा रहा है । राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदा. कार्यालय में पदस्थापित तीन पदा. द्वारा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाना है । राज्य मुख्यालय में मात्रा एक गाड़ी है वह भी चालु हालत में नहीं है । अतः उपलब्ध गाड़ी के मरम्मती हेतु..... Rs. 10, 000/-का प्रस्ताव है ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)-10000 रूपया

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा । राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट:राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - पर्यवेक्षण, गाड़ी भाड़े पर लेकर बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -
राज्य स्तर पर के पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण पर होने वाले व्यय के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में दिया जा रहा है । राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदा. कार्यालय में पदस्थापित तीन पदा. द्वारा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाना है । राज्य मुख्यालय में मात्रा एक गाड़ी है वह भी चालु हालत में नहीं है । अतः भाड़े पर गाड़ी लेकर पर्यवेक्षण किया जायगा । जिसके निमित्त प्रति पदा. प्रतिमाह कि २ 2500 की दर से राशि का प्रस्ताव है ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)-2500 रूपया /Month

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्देशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा । राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - राज्यस्तर पर बैठक आयोजन

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - कार्यक्रम के संचालन में जिला कार्यक्रम पदा. के साथ समीक्षात्मक बैठक करना आवश्यक होता है। बैठक में कार्यक्रम के संबंध में जिलावार विस्तृत समीक्षा की जाती है तथा कार्यक्रम के संचालन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु भी दिशा निर्देश तय किया जाता है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-10000 रूपया / बैठक

वित्तीय दिशा- राज्य स्तर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक बैठक में Rs. 10,000/व्यय होने की संभावना है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्देशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजिट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - इन्टरनेट सुविधा एवं कम्प्यूटर के रख रखाव

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य मुख्यालय में अवस्थित कम्प्यूटर में इन्टरनेट सुविधा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के कम्प्यूटर के रख रखाव पर भी व्यय होगा। अतः इन्टरनेट सुविधा एवं कम्प्यूटर के रख रखाव पर होने वाले व्यय के लिए बजट में राशि का प्रस्तावित दिया जा रहा है।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)-30000 रूपया

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Secretary & Mission Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा।


इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण

कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-
23237/94314-08454



वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजिट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - लेजर प्रिंटर

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर
)—स्तम्भ—6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य
मुख्यालय अवस्थित राज्य कार्यक्रम पदा. कार्यालय हेतु लेजर प्रिंटर जिसके तहत फोन, फैंक्स, स्केनर
सहित, क्रय का प्रस्ताव है । जिसके क्रय हेतु राशि का प्रस्ताव है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में) 25000 रूपया

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। स्वा0 एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director
NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान
NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया
जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि
के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा
सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण
कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-
23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजिट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - फोटो कॉपी मशीन
बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर
)-स्तम्भ-7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य
मुख्यालय में फोटो कॉपी मशीन उपलब्ध नहीं है । योजना के कार्य सम्पादन में फोटो कॉपी कराना पड़ता है
जिसे स्थानीय बाजार से कराया जाता है । इसे खर्च भी अधिक होता है साथ ही कठिनाई भी । अतः कार्य
सुलभता की दृष्टि से राज्य मुख्यालय हेतु एक फोटो कॉपी मशीन की आवश्यकता है जिसपर होने वाले
व्यय का प्रावधान बजट में दिया जा रहा है ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)-150000 रूपया

वित्तीय दिशा- 1. नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी । 2. बिहार सरकार के
वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । स्वा० एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM
के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के
Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा० द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि
के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण
कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-
23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - मोबाइल फोन क्रय

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -

कालाजार कार्य की सुगमता एवं कर्मचारी पदा. के बीच सीधा सम्पर्क की दृष्टि से मोबाइल पफोन के क्रय का करने का प्रस्ताव है । राज्य कार्यक्रम पदा. कार्यालय में कार्यरत तीन पदा., तकनीकी शाखा में चार, स्टोनो एक प्रधान लिपिक एवं लेखापाल एक ;कुल दस मोबाइल फोन के क्रय का प्रस्ताव है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-2000 रूपया /Mobile

वित्तीय दिशा- प्रति मोबाइल Rs. 2000/- की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

४ विवरणी VI कंडिका-5 द्रष्टव्य .

1. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट,राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - मोबाइल फोन प्रतिमाह कुपन

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -

कालाजार कार्य की सुगमता एवं कर्मचारी पदा. के बीच सीधा सम्पर्क की दृष्टि से मोबाइल पफोन के क्रय का करने का प्रस्ताव है । राज्य कार्यक्रम पदा. कार्यालय में कार्यरत तीन पदा., तकनीकी शाखा में चार, स्टोनो एक प्रधान लिपिक एवं लेखापाल एक ;कुल दस मोबाइल फोन के क्रय का प्रस्ताव है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-337 रूपया /Mobile / Month

वित्तीय दिशा- मोबाइल के क्रय के उपरान्त प्रतिमाह कुपन पर होने वाले व्यय पर प्रति मोबाइल Rs. 337/- की दर से 12 माह के राशि का प्रस्ताव है। नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजिट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - कम्प्यूटर

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य
कार्यक्रम पदा. कार्यालय में कार्यक्रम संबंधी कार्य के सुचारु रूप से निष्पादन की दृष्टि से एक डेस्क टॉप
कम्प्यूटर ;यू.पी.एस. के साथ-साथ की आवश्यकता है ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)- 50000 रूपया / Computer With All Accessories.

वित्तीय दिशा- । इस निमित्त राशि प्रस्ताव है । नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की
जायेगी। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional
Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के
आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम
पदा० द्वारा व्यय किया जायगा ।

प्रस्तावित राशि - Rs. 50,000/-

४ विवरणी VI कंडिका-3 द्रष्टव्य .

1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य
विभागीय निर्णयोपरान्त ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि
के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा
सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण
कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - लैप टॉप

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - राज्य स्तर पर अवस्थित राज्य कार्यक्रम पदा. में तीन पदा. यथा राज्य कार्यक्रम पदा., उप मुख्य मलेरिया पदा. एवं सहायक निदेशक कालाजार पदस्थापित है जिनके द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इन तीनों पदाधिकारी को स समय सभी तरह की सूचना रखने / शीर्ष पदाधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु तीन लैप टॉप की आवश्यकता है। जिसके लिए राशि का प्रस्ताव है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-50000 रूपया / Laptop With All Accessories.

वित्तीय दिशा- प्रति लैप टॉप Rs. 50,000/- की दर से क्रय का प्रस्ताव प्रस्तावित राशि स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

3Rs. 1,50,000/- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

४ विवरणी VI कंडिका-4 द्रष्टव्य।

1. विहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

राज्य स्तरीय कम्पोजेन्ट,राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - राज्य स्टीयरिंग कमिटी
बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर
)—स्तम्भ—1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -
कालाजार के सफल संचालन की दृष्टि से समय-समय पर शीर्ष स्तरीय पदाधिकारियों के परामर्श की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से राज्य राज्य पर एक State Stearing Committee के गठन की आवश्यकता महशूस की गई है। इस कमिटी में विकास आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त, निदेशक प्रमुख स्वा. सेवाये, राज्य कार्यक्रम पदा. तथा भारत सरकार के शीष पदा. भी शामिल रहेग

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—10000 रूपया / बैठक

वित्तीय दिशा— समय-समय पर उक्त गठित कमिटी के बैठक आयोजन करने एवं बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय की दृष्टि से राशि का प्रावधान किया गया। कमिटी की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार कराने का प्रस्ताव है। नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा।

प्रस्तावित राशि - Rs. 30,000/-
(Rs. 10,000 प्रति बैठक .3)

1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -
राज्य स्तरीय कम्पोनेन्ट;राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के लिए - ब्राड एम्बेस्डर

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 6 के आधार पर)
)-स्तम्भ-2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -
कालाजार के रोकथाम की दृष्टि से समय-समय पर माननीय प्रधान मंत्री / मुख्य मंत्री / अन्य गणमान्य नेता / अभिनेता द्वारा प्रचार कार्य आवश्यक प्रतीत होता है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-48040 रूपया

वित्तीय दिशा- । इस निमित्त राशि का प्रस्ताव है जिसको व्यय प्रचार कार्य पर होगा । नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा ।

प्रस्तावित राशि - Rs. 48,040/-

विवरण VI कंडिका-2 द्रष्टव्य ,

1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्देशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - डी.डी.टी. का भण्डारण पंजी

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)-स्तम्भ-17

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -

डी.डी.टी. छिड़काव के लिए भारत सरकार द्वारा जिलों में डी.डी.टी. की आपूर्ति की जाती है। जिलों में डी.डी.टी. के भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण डी.डी.टी. क्षतिग्रस्त (धूप एवं पानी से) होने की संभावना है। समुचित भण्डारण व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए या तो भण्डार, भाड़े पर लिया जाय या जिलों के उपलब्ध राज्य भंडार निगम के गोदाम में रखा जाय।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-5000 रूपया / डबदजी

वित्तीय दिशा- चूँकि जिलों को भाड़े पर भंडार लेने में नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति लेने में काफी कठिनाई होती है। फलतः जब तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। तब तक डी.डी.टी. को यत्र-तत्र रखना पड़ता है। इस निमित्त भाड़े पर गोदाम लेने अथवा राज्य भंडार निगम (जिसका दर सरकार द्वारा अनुमोदित है) के गोदाम में भंडारण हेतु प्रति जिला प्रति माह रुपये 5,000/- की दर से पूरे वर्ष के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — चिकित्सा कार्ड
बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर
)—स्तम्भ—15

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) कालाजार रोगियों के चिकित्सा के क्रम में दी जानेवाली दवा के खुराक का लेखा-संधारण एवं चिकित्सा ब्योरा के लिए चिकित्सा कार्ड का उपयोग किया जाना आवश्यक है वर्तमान में चिकित्सा कार्ड का उपयोग जिला स्तर के अस्पताल से लेकर प्रखण्ड स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण तकनीकी मूल्यांकन में कठिनाई होती है। शीर्ष स्तर पर भी चिकित्सा कार्ड संधारण नहीं किये जाने पर चिंता जताई गई है। अतः चिकित्सा कार्ड के उपयोग की महत्ता को देखते हुए प्रति रोगी 2 प्रकार के कार्ड की आवश्यकता होगी। कार्ड का प्रारूप संलग्न । पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची II A,B,C द्रष्टव्य

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—5 रूपया / दो कार्ड के हिसाब से

वित्तीय दिशा— एक कार्ड की छपाई में अनुमानित रुपये 2.50 व्यय होगा। इस तरह एक (एक रोगी के लिए दो कार्ड के हिसाब से) प्रति रोगी पर 5/- रुपये व्यय होगा। परिशिष्ट V स्तंभ 4 में वर्ष 2009 के संभावित रोगियों की संख्या के अनुसार स्तंभ 13 में जिलावार राशि का आकलन किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-I दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि एवं राज्य समिति द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - कालाजार रोगियों का सूचना संधारण पंजी

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर

)—स्तम्भ—16

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - कालाजार रोगियों के विस्तृत सूचना के संधारण एवं क्षेत्रीय श्रम क्षतिपूर्ति भाग के संधारण हेतु प्रत्ये कालाजार प्रभावित प्रखण्ड में दो रजिस्टर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि शीर्ष स्तर के पदाधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान रोगियों की विस्तृत सूचना एवं दैनिक श्रम क्षतिपूर्ति राशि का मूल्यांकन किया जा सकें। प्रपत्र संलग्न।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में)—50 रूपया / दो रजिस्टर

वित्तीय दिशा— इस निमित्त प्रत्येक कालाजार प्रभावित जिले के कालाजार प्रभावित प्रा. स्वा. केन्द्र को दो रजिस्टर (एक जिस्ता का) अनुमानित कीमत रूपये 50/- (दो रजिस्टर) की दर से राशि का आकलन किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Missision Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है। पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची III द्रष्टव्य इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)।

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — कालाजार की दवा एम्फोटेरीसीन वी. का भंडारण व्यवस्था — जिला स्तर

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)—स्तम्भ—13

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) कालाजार रोगियों के चिकित्सा हेतु भारत सरकार द्वारा एस.एस.जी. एम्फोटेरीसीन वी की दवा की आपूर्ति की जाती है। एम्फोटेरीसीन दवा की एक निर्धारित तापक्रम (2 से 8° C) पर रखा जा जाना है, अन्यथा दवा की क्षमता कें हास होने की संभावना है। निर्धारित तापक्रम पर दवा भंडारण के लिए शीत श्रृखला/शीतगृह ही उपयुक्त है। जिन जिलों में शीत श्रृखला उपलब्ध है इन जिलों के सिविल सर्जन दवा को शीत श्रृखला में रखेंगे। जिन जिलों में शीत श्रृखला उपलब्ध नहीं है उन जिलों में शीत गृह (Cold Storage) में दवा रखने का प्रस्ताव है। भुगतान से पूर्व जिला प्रतिरक्षण पदा0 से यह प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है की उक्त प्राथमिक स्वा0 केन्द्र में शीत श्रृखला कार्यरत है या नहीं ।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में)—500 रूपया / माह की दर से

वित्तीय दिशा— इस निमित्त प्रत्येक जिले को उक्त दवा भंडारण हेतु (शीत श्रृखला उपलब्ध नहीं रहने पर कोल्ड स्टोरेज भाड़े पर लेने हेतु) रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से एक वर्ष के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 1. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454



वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - कालाजार की दवा एम्फोटेरीसीन वी. का भंडारण व्यवस्था - राज्य स्तर

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)-स्तम्भ-14

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) कालाजार रोगियों के चिकित्सा हेतु भारत सरकार द्वारा एस.एस.जी. एम्फोटेरीसीन वी की दवा की आपूर्ति की जाती है। एम्फोटेरीसीन दवा की एक निर्धारित तापक्रम (2 से 80 C) पर रखा जा जाना है, अन्यथा दवा की क्षमता के हास होने की संभावना है। निर्धारित तापक्रम पर दवा भंडारण के लिए शीत श्रृंखला/शीतगृह ही उपयुक्त है। वाक इन कुलर जहाँ तापमान 2° से 8° नियंत्रित हो वहाँ रखा जा सकता है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-1500 रूपया / माह की दर से

वित्तीय दिशा- राज्य स्तर पर (राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी) भी उक्त दवा के भंडारण हेतु शीत गृह की आवश्यकता है, जिसके लिए रुपये 1500/- प्रति माह की दर से राशि का प्रावधान विवरणी V स्तंभ 14 में किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - पर्यवेक्षण , मलेरिया निरीक्षक मोटरसाईकिल के लिए पेट्रॉल ।

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)-स्तम्भ-12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया एवं कालाजार योजना के सफल संचालन में योजना में कार्यरत मलेरिया निरीक्षकों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक जिले में पदास्थापित मलेरिया निरीक्षक के दो या तीन प्रखण्डों के कार्य का दायित्व है। अतः प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु मलेरिया निरीक्षक को मोटर साईकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के कालाजार प्रभावित 31 जिलों में 21 जिला मे मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय अवस्थित है। इन 21 जिलों मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय में से 18 जिलों में पदस्थापित मलेरिया निरीक्षक प्रति जिला दो मोटर साईकिल तथा 3 जिला (सहरसा, पूर्णिया तथा मुंगेर) को प्रति जिला 3 की दर से मोटरसाईकिल देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। मलेरिया निरीक्षक को मोटर साईकिल पर प्रतिमाह 30 लीटर प्रति मोटर साईकिल प्रतिमाह की दर से देने का प्रस्ताव है। जिसके लिए रुपये 50/- प्रति लीटर की दर से राशि का आकलन परिशिष्ट V स्तम्भ-12में किया गया है। पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची 1 द्रष्टव्य

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-1500 रूपया / Motorcycle / Month

वित्तीय दिशा- मलेरिया निरीक्षक को मोटर साईकिल पर प्रतिमाह 30 लीटर प्रति मोटर साईकिल प्रतिमाह की दर से देने का प्रस्ताव है। जिसके लिए रुपये 50/- प्रति लीटर की दर से राशि का आकलन परिशिष्ट V स्तम्भ-12में किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । पर्यवेक्षण प्रपत्र संलग्न ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि जो विभागीय निर्णयोंपरान्त स्विकृत किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – कालाजार तकनीकी पर्यवेक्षक (KT)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)–स्तम्भ-19

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) परिशिष्ट .V के स्तंभ 12 इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक कालाजार प्रभावित जिलो में कालाजार तकनीकी पर्यवेक्षक (KTS) का 6 पद सृजित करने का निदेश दिया गया है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)–10000 रूपया / KTS / Month

वित्तीय दिशा— इस तरह 31 कालाजार प्रभावित जिलो में 186 (KTS) के पद के सृजन एवं नियुक्ति पकियान्तर्गत है (KTS) को प्रतिमाह 10,000/- रूपये वेतन दिया जायेगा। जिसके लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। चूकि विश्व बैंक द्वारा (KTS) को कालाजार कार्यक्रम में रखा जा रहा है अतः इसपर होने वाले व्यय का वहन विश्व बैंक द्वारा करने का प्रावधान है।1. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ

उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि। NVBDCP एवं विश्व बैंक के द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में कार्यवाई की जायगी ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर –98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — पर्यवेक्षण जिला मलेरिया पदाधिकारी

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)—स्तम्भ—10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — कालाजार के नियंत्रण में पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पूरे वर्ष में जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर से सक्षम पर्यवेक्षण किया जाए तो कालाजार के नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पर्यवेक्षण के तहत डी.डी.टी. छिड़काव, रोगियों का चिकित्सा, अनुश्रवण, प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषण इत्यादि आते हैं। वर्ष में दो चक्र डी.डी.टी. छिड़काव अवधि अर्थात् 4 माह के पर्यवेक्षण का बजट प्रावधान आइ.आर. एस. के तहत किया गया है। शेष आठ माह के पर्यवेक्षण हेतु उपचारात्मक कार्रवाई में प्रावधान किया जाना है। पर्यवेक्षण का दायित्व जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का है। राज्य के 31 कालाजार प्रभावित जिलों में मात्रा 20 जिलों में ही जिला म.पदाधिकारी का पद सृजित है शेष 11 जिलों में इन्हीं जिला मलेरिया पदाधिकारी के अधीन आते हैं। सफल पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय पर्यवेक्षणी पदाधिकारी होना चाहिए। इस निमित्त 20 जिलों के पर्यवेक्षण का दायित्व जिला मलेरिया पदाधिकारी को, 9 जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को तथा शेष दो जिलों (खगड़िया और मधेपुरा) के सिविल सर्जन दिया जा रहा है। छिड़काव अवधि (चार माह) में पर्यवेक्षण के लिए राशि का प्रावधान संलग्न परिशिष्ट IV में दिया गया है। शेष आठ माह के लिए राशि का प्रावधान संलग्न परिशिष्ट V में किया गया है। परिशिष्ट V के स्तंभ 9 में सिविल सर्जन मधेपुरा एवं खगड़िया को 3,000/- प्रति माह की दर से परिशिष्ट V के स्तंभ 10 में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शिवहर एवं सुपौल) को रुपये 10,000 /- रुपये प्रति माह की दर से तथा शेष 20 जिलों के जिला मलेरिया पदाधिकारी को रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यवेक्षण प्रपत्र का संकलन जिला मलेरिया कार्यालय में होगा। जिला Ranking हेतु निम्नवत आधार होगा - 1. Proper Action Plan 2. % of Coverage of IRS Activities 3. Availability of Drug and Diagnostic Kit 4. Training of Man Power and money 5. Vector Density Status after Spray 6. Status of Number of Case & Death. पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची 1 द्रष्टव्य

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—10000 रूपया / माह की दर से

वित्तीय दिशा-निर्देशन — है। परिशिष्ट V के स्तंभ 10 में 20 जिलों के जिला मलेरिया पदाधिकारी को रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Secretary & Mission Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - पर्यवेक्षण , मलेरिया निरीक्षक ए मोटर साईकिल कय

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)-स्तम्भ-11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - मलेरिया एवं कालाजार योजना के सफल संचालन में योजना में कार्यरत मलेरिया निरीक्षकों की अहम् भूमिका होती है। प्रत्येक जिले में पदास्थापित मलेरिया निरीक्षक के दो या तीन प्रखण्डों के कार्य का दायित्व है। अतः प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु मलेरिया निरीक्षक को मोटर साईकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के कालाजार प्रभावित 31 जिलों में 21 जिला मे मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय अवस्थित है। इन 21 जिलों मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय में से 18 जिलों में पदस्थापित मलेरिया निरीक्षक प्रति जिला दो मोटर साईकिल तथा 3 जिला (सहरसा, पूर्णिया तथा मुंगेर) को प्रति जिला 3 की दर से मोटरसाईकिल देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

ईकाई राशि(रू0 रुपया में)-50000 रुपया / Motorcycle

वित्तीय दिशा- नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त निविदा के आधार पर जिला पदा0 के अध्यक्षता में क्रय समिती के माध्यम से कय की कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि जो विभागीय निर्णयीपरांत स्विकृत किया जा सकेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — पर्यवेक्षण ,सिविल सर्जन

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर

)—स्तम्भ—9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — कालाजार के नियंत्रण में पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पूरे वर्ष में जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर से सक्षम पर्यवेक्षण किया जाए तो कालाजार के नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पर्यवेक्षण के तहत डी.डी.टी. छिडकाव, रोगियों का चिकित्सा, अनुश्रवण, प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषण इत्यादि आते हैं। वर्ष में दो चक्र डी.डी.टी. छिडकाव अवधि अर्थात् 4 माह के पर्यवेक्षण का बजट प्रावधान आइ.आर. एस. के तहत किया गया है। शेष आठ माह के पर्यवेक्षण हेतु उपचारात्मक कार्रवाई में प्रावधान किया जाना है। पर्यवेक्षण का दायित्व जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का है। राज्य के 31 कालाजार प्रभावित जिलों में मात्रा 20 जिलों में ही जिला म.पदाधिकारी का पद सृजित है शेष 11 जिलों में इन्हीं जिला मलेरिया पदाधिकारी के अधीन आते हैं। सफल पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय पर्यवेक्षणी पदाधिकारी होना चाहिए। इस निमित्त 20 जिलों के पर्यवेक्षण का दायित्व जिला मलेरिया पदाधिकारी को, 9 जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को तथा शेष दो जिलों (खगड़िया और मधेपुरा) के सिविल सर्जन दिया जा रहा है। पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची 1 द्रष्टव्य

ईकाई राशि(रु० रूपया में) 3000 रूपया / पर्यवेक्षणी पदाधिकारी

वित्तीय दिशा-निर्देशन — है। परिशिष्ट V के स्तंभ 9 में सिविल सर्जन मधेपुरा एवं खगड़िया को 3,000/- प्रति माह की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। पर्यवेक्षण प्रपत्र संलग्न। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण


कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454



15



वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - पर्यवेक्षण अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर)-स्तम्भ-10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - कालाजार के नियंत्रण में पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पूरे वर्ष में जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर से सक्षम पर्यवेक्षण किया जाए तो कालाजार के नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पर्यवेक्षण के तहत डी.डी.टी. छिडकाव, रोगियों का चिकित्सा, अनुश्रवण, प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषण इत्यादि आते हैं। वर्ष में दो चक्र डी.डी.टी. छिडकाव अवधि अर्थात् 4 माह के पर्यवेक्षण का बजट प्रावधान आइ.आर. एस. के तहत किया गया है। शेष आठ माह के पर्यवेक्षण हेतु उपचारात्मक कार्रवाई में प्रावधान किया जाना है। पर्यवेक्षण का दायित्व जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का है। राज्य के 31 कालाजार प्रभावित जिलों में मात्रा 20 जिलों में ही जिला म.पदाधिकारी का पद सृजित है शेष 11 जिलों में इन्हीं जिला मलेरिया पदाधिकारी के अधीन आते हैं। सफल पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय पर्यवेक्षणी पदाधिकारी होना चाहिए। इस निमित्त 20 जिलों के पर्यवेक्षण का दायित्व जिला मलेरिया पदाधिकारी को, 9 जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को तथा शेष दो जिलों (खगड़िया और मधेपुरा) के सिविल सर्जन दिया जा रहा है। छिडकाव अवधि (चार माह) में पर्यवेक्षण के लिए राशि का प्रावधान संलग्न परिशिष्ट पृष्ठ में दिया गया है। शेष आठ माह के लिए राशि का प्रावधान संलग्न परिशिष्ट V में किया गया है। परिशिष्ट V के स्तंभ 9 में सिविल सर्जन मधेपुरा एवं खगड़िया को 3,000/- प्रति माह की दर से परिशिष्ट V के स्तंभ 10 में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शिवहर एवं सुपौल) को रुपये 10,000 /- रुपये प्रति माह की दर से तथा शेष 20 जिलों के जिला मलेरिया पदाधिकारी को रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यवेक्षण प्रपत्र अनुसूची 1 दृष्टव्य

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)-10000 रूपया / पर्यवेक्षणी पदाधिकारी प्रति माह

वित्तीय दिशा-निर्देशन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शिवहर एवं सुपौल) को रुपये 10,000 /- रुपये प्रति माह की दर से प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । पर्यवेक्षण प्रपत्र संलग्न । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454



16

19/3

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - प्रखण्ड अस्पताल में
शश्या का विस्तार

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर
)—स्तम्भ—7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) - क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा पाया गया है कि प्रा.स्वा. केन्द्र के अस्तपतालों में शश्या की कमी के कारण कालाजार के मरीजों को जमीन पर विस्तर लगाकर इलाज किया जाता है, जो चिकित्सा की दृष्टि से उचित नहीं है। कालाजार रोग के सभी रोगियों को शश्या उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से प्रत्येक प्रा.स्वा. केन्द्र के अस्पतालों में अतिरिक्त दस शश्या लगाया जाय। दिनांक 29-30 दिसम्बर, 2008 को आयोजित बैठक में भी इस बिन्दु पर सहमति बनी थी।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—1000 रूपया / Bed with Mattress

वित्तीय दिशा-निर्देशन - इस निमित्त एक शश्या के लिए अनुमानित राशि 1,000/- रुपये प्रति शश्या (Bed with Mattress) का प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण
कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-
23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – राज्य स्तर पर यात्रा मद में

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 11 के आधार पर)—स्तम्भ—State Level Activity

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) –) पदाधिकारी के पर्वक्षण के क्रम में यात्रा मद में भी राशि की आवश्यकता होगी इस निमित मात्रा 20,000/- रुपये का प्रावधान दिया गया है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—20000 रूपया / राज्य मुख्यालय के लिए


वित्तीय दिशा-निर्देशन पदाधिकारी के पर्वक्षण के क्रम में यात्रा मद में भी राशि की आवश्यकता होगी इस निमित मात्रा 20,000/- रुपये का प्रावधान दिया गया है। 1. बिहार सरकार यात्रा भता नियामवली के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।


इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454





वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - प्रोत्साहन राशि

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 5 के आधार पर

)—स्तम्भ—8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -) प्रायः देखा जाता गया है कि सभी रोगी कतिपय कारणों से सरकारी संस्थानों में चिकित्सा नहीं करा पाते हैं या आते हैं तो चिकित्सा के दौरान ही चले जाते हैं। कुछ रोगी प्राइवेट चिकित्सक के पास चिकित्सा कराते हैं। कालाजार के सभी रोगी को सरकारी संस्थानों में पूर्ण चिकित्सा कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य कार्यकर्ता "आशा" को प्रोत्साहन राशि का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत "आशा" ग्रामीण क्षेत्रा के संभावित कालाजार रोगियों के सरकारी संस्थानों में जाँच करवाना एवं कालाजार की बिमारी संपुष्ट होने पर पूर्ण चिकित्सा कराने का दायित्व निभायेंगे। रोगी की चिकित्सा पूर्ण होने के उपरांत उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—100 रूपया / प्रति कालाजार रोगी की दर से

वित्तीय दिशा-निर्देशन स्वास्थ्य कार्यकर्ता "आशा" को प्रोत्साहन राशि के रूप में रुपये 100 प्रति कालाजार रोगी की दर से देने का निर्णय 24 - 25 दिसम्बर 2008 को राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया है। नई गतिविधी जो (NVBDCP)के राज्य स्तरिय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप विभागिय निर्णय परांत । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद में किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में। (NVBDCP)के राज्य स्तरिय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप विभागिय निर्णय परांत

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – राज्य स्तर पर राज्य

कार्यक्रम पदाधिकारी/उपमुख्य मलेरिया पदाधिकारी सहायक निदेशक कालाजार का पर्यवेक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 11 के आधार पर

)—स्तम्भ—State Level Activity

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) –) मलेरिया कार्यक्रम में चार क्षेत्रीय मलेरिया पदा. का पद सृजित है। छिड़काव की महत्ता, गुणवत्ता पूर्ण छिड़काव तथा छिड़काव के सफल संचालन की दृष्टि से क्षेत्रीय मलेरिया पदा. को पर्यवेक्षण कार्य के मूल्यांकन का दायित्व दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदा. अपने अधीनस्थ जिलों के भ्रमण कर छिड़काव के संचालन की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा सप्ताहन्त में जिलावार स्थिति से राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में) 25000 रूपया / राज्य मुख्यालय के लिए

वित्तीय दिशा-निर्देशन राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/उपमुख्य मलेरिया पदाधिकारी सहायक निदेशक कालाजार द्वारा छिड़काव कार्य का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस निमित गाड़ी की आवश्यकता होगी। मात्रा एक ही वाहन ही राज्य मुख्यालय में उपलब्ध है इस निमित मात्रा 25,000/- रुपये राज्य मुख्यालय के लिए प्रावधान किया गया है। पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के क्रम में यात्रा मद में भी राशि की आवश्यकता होगी इस निमित मात्रा 20,000/- रुपये का प्रावधान दिया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Missson Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर

–98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -- राज्य स्तर पर
कार्यालय मद में

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 11 के आधार पर
)--स्तम्भ--State Level Activity

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -) राज्य
स्तर पर जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को तैयार करने के क्रम में स्टेशनरी की आवश्यकता होगी।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)--20000 रूपया / राज्य मुख्यालय के लिए

वित्तीय दिशा-निर्देशन राज्य स्तर पर जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को तैयार करने के क्रम में
स्टेशनरी की आवश्यकता होगी। इसके तहत मात्रा 20,000/- रुपये कार्यालय व्यय मद में प्रावधान
किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार
। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । यह राशि राज्य कार्यक्रम पदा0 द्वारा व्यय किया जायगा । स्वा0 एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion
Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का
प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि
के साथ उल्लेखित करें)--

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम-- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण
कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर --98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — आई.ई.सी.

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 4 के आधार पर

)—स्तम्भ—12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) —) छिड़काव के पूर्व जन साधारण में छिड़काव के फायदे छिड़काव के तिथि की जानकारी एवम प्रखण्ड चि.पदा. प्रभावित ग्रामों में छिड़काव के पूर्व ढोल पिटवाकर, माइक द्वारा गोष्ठी कर जनसाधारण को छिड़काव की तिथि की जानकारी देंगे।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—1000 रूपया / प्रति प्रभावित प्रखण्ड

वित्तीय दिशा-निर्देशन इस मद में प्रति प्रभावित प्रखण्ड रुपये 1,000/- की दर से राशि का प्रावधान जिला स्तर पर किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी पोस्टर, इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराएंगे। इस मद की राशि प्रखण्ड चि.पदा. को रुपये 500/- प्रति प्रखण्ड की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—


क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में। जिला स्तर पर CS/ACMO के द्वारा एवं प्रखण्ड स्तर पर MOIC के द्वारा राशि खर्च की जायेगी।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454



वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — क्षेत्रीय मलेरिया पदा.

का पर्यवेक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 11 के आधार पर

)—स्तम्भ—State Level Activity

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) —) मलेरिया कार्यक्रम में चार क्षेत्रीय मलेरिया पदा. का पद सृजित है। छिड़काव की महत्ता, गुणवत्ता पूर्ण छिड़काव तथा छिड़काव के सफल संचालन की दृष्टि से क्षेत्रीय मलेरिया पदा. को पर्यवेक्षण कार्य के मूल्यांकन का दायित्व दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदा. अपने अधीनस्थ जिलों के भ्रमण कर छिड़काव के संचालन की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा सप्ताहन्त में जिलावार स्थिति से राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—20000 रूपया / ZMO वार्षिक

वित्तीय दिशा-निर्देशन इस निमित गाड़ी भाड़े पर लेने अथवा यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध हो तो ईधन हेतु राशि का प्रावधान प्रति क्षेत्रीय मलेरिया पदा. रुपये 20,000/- की दर से किया गया है। संबंधित पदाधिकारी सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं रहने पर राज्य स्वा. समिति द्वारा अनुमोदित दर पर भाड़े पर गाड़ी लेकर कार्य सम्पादन करेंगे। पर्यवेक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारी कम-से-कम सभी प्रभावित प्रखण्डों के दो-तीन ग्रामों के छिड़काव का निरीक्षण (छिड़काव अवधि में) निश्चित रूप से करेंगे। स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार भाड़े पर गाड़ी लेने के संबंधित राज्य स्वास्थ्य समिती द्वारा पुर्व में निर्गत आदेश के तहत स्वा0 विभागीय निर्णयानुसार । भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार । स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है । प्रयेवक्षण प्रपत्र संलग्न । अनुसुचि 1 द्रष्टव्य

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित नई गतिविधि।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम —कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — पर्यवेक्षण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 4 के आधार पर

)—स्तम्भ—8/9/10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) —) राज्य के 31 कालाजार प्रभावित जिलों के विगत पाँच वर्षों में कालाजार से प्रभावित सभी ग्रामों में छिड़काव कराया जाना है। छिड़काव के सफल संचालन एवं गुणवत्ता पूर्ण छिड़काव की दृष्टि से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन आवश्यक है। पर्यवेक्षण जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जाता है। 31 जिलों में से 20 जिलों में जिला मलेरिया पदाधिकारी का पद सृजित है, शेष 11 जिलों में पद सृजित नहीं है। इन जिलों में मात्रा पर्यवेक्षण का दायित्व जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को दिया जा रहा है। इस निमित्त जिला स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी की गाड़ी हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मधेपुरा तथा खगड़िया जिले के सिविल सर्जन द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)—100 रूपया / Village For CS,ACMO,DMO,+ 50 रूपया/ Village For MO/IC

वित्तीय दिशा-निर्देशन पर्यवेक्षण हेतु राशि प्रभावित ग्रामों को आधार मान कर दिया जा रहा है। प्रत्येक पदाधिकारी एक दिन (भ्रमण के दिन) में कम-से-कम 6 ग्रामों के छिड़काव का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। जिन जिलों में गाड़ी उपलब्ध है, उन जिलों में राशि का उपयोग गाड़ी में उपयुक्त होने वाले ईंधन पर नियमानुसार किया जाएगा। जिन जिलों में गाड़ी उपलब्ध नहीं है वे जिले भाड़े पर गाड़ी (राज्य स्वा. समिति, बिहार पटना द्वारा निर्धारित दर पर) लेकर पर्यवेक्षण कार्य करेंगे। प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु प्रखण्ड के चि.पदा. प्रति प्रभावित ग्राम की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रखण्ड के चि.पदा. भ्रमण की तिथि को कम-से-कम 6 ग्राम का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस निमित्त आवश्यकता के तहत भाड़े पर भी वहन लिया जा सकता है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Secretary & Mission Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण

कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-
23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - पर्यवेक्षी

पदाधिकारी/कर्मचारी का दैनिक भत्ता

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 4 के आधार पर

)—स्तम्भ—11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -) मात्रा डी.डी.टी. छिड़काव में संलग्न पर्यवेक्षी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को दैनिक भत्ता (नियमानुसार) दिया जाएगा।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—1000 रूपया / Affected PHC

वित्तीय दिशा-निर्देशन इस निमित्त प्रति कालाजार प्रभावित प्रखण्ड के लिए रुपये 1,000/- की दर से राशि का आकलन किया गया है। चूंकि प्रखण्ड के मात्र प्रभावित ग्रामों का ही छिड़काव किया जा रहा है। पूरे प्रखण्ड का नहीं। इसे मद्देनजर रखते हुए ही राशि का आकलन किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - छिड़काव हेतु

डी.डी.टी. की दुलाई

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर

)—स्तम्भ—16/17

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — छिड़काव हेतु डी.डी.टी. की दुलाई जिला स्तर से प्रखण्ड मुख्यालय तथा प्रखण्ड मुख्यालय से ग्रामों तक की जाती है। अधिकांशतः जिलों में डी.डी.टी. जिला मुख्यालय में ही भंडारित है। लेकिन कुछ जिलों में प्रखण्ड स्तर पर भी पिछले छिड़काव के बाद डी.डी.टी. बचता है।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)—1000 रूपया From Dist. To PHC. 500 रूपया From PHC To Village

वित्तीय दिशा-निर्देशनचूँकि प्रखण्ड स्तर पर भंडारण का आँकड़ा राज्य मुख्यालय में नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मुख्यालय से प्रखण्ड तक दुलाई के निमित्त रुपये 1,000/- (एक हजार) प्रति कालाजार प्रभावित प्रखण्ड तथा प्रखण्ड से छिड़काव स्थल तक दुलाई के लिए रुपये 500/- (पाँच सौ) प्रति प्रभावित प्रखण्ड की दर से राशि का आकलन किया गया है। प्रति प्रखण्ड दुलाई की राशि का आकलन बजट तैयार की दृष्टि से किया गया है। अंकेक्षण दृष्टि से संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी जिला मुख्यालय से प्रखण्ड की दूरी के अनुसार नियमानुसार (अनुमोदित दर) दुलाई करायेंगे, साथ ही प्रखण्डों में उपलब्ध डी.डी.टी. को मद्देनजर रखते हुए दुलाई पर राशि का व्यय करेंगे दुलाई मद की राशि के व्यय पर नियंत्रण रखा जाएगा। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया डंदनंस के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

(क) SHSB Letter No. K/M/39-07/Part/1086 Dated 07.06.08 (ख) राज्य स्वास्थ्य समिति

द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - छिड़काव में व्यवहार

होनेवाले छिड़काव उपकरणों (मरम्मत योग्य उपकरणों के) मरम्मत

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 4 के आधार पर

)—स्तम्भ—5/6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -) छिड़काव में व्यवहार होनेवाले छिड़काव उपकरणों (मरम्मत योग्य उपकरणों के) मरम्मत हेतु, छिड़काव के दौरान छिड़काव उपकरणों के मरम्मत एवं स्टीरप पम्प हेतु चुटकी वासर, गैलन सुता इत्यादि के लिए राशि का प्रावधान प्रति छिड़काव दल रुपये 100/- एवं नोजल टीप्स के क्रय हेतु प्रति प्रति छिड़काव दल रुपये 400/-की दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—100 रूपया मरम्मत हेतु / Sqad + 400 रूपया नोजल टीप्स के क्रय हेतु / Sqad

वित्तीय दिशा-निर्देशन जिलों से प्राप्त छिड़काव उपकरणों की उपलब्धता का जिलावार विवरण परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। छिड़काव के अनुसार उक्त परिशिष्ट III में स्टीरप पम्प, वाल्टी, गैलन मेजर, पौण्ड मेजर तथा नोजल टीप्स की आवश्यकता तथा जिलों में उपलब्ध उपकरणों का ब्यौरा दर्शाया गई है। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अधिकांशतः जिलों में आवश्यकता से ज्यादा उपकरण उपलब्ध है जिन जिलों में मरम्मत के उपरांत भी आवश्यकता से कम उपकरण उपलब्ध होंगे, उन जिलों में विचलन द्वारा अन्य जिलें (जहाँ आवश्यकता से अधिक उपकरण है) से छिड़काव उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। जिन जिलों में CS प्रभार में है वहाँ के CS एव अन्य जिलों में ACMO तथा DMO के द्वारा राशि खर्च की जायगी एवं छिड़काव वाधित होने की जवाबदेही इनकी ही होगी। सामग्रीयों की गुणवत्ता का मानक ISI होगा एवं इसकी गुणवत्ता की जाँच जिले में कार्यरत Quality Assurance कमिटी करेगी। सामग्री का क्रय जिला स्तर पर CS द्वारा गठित त्रिसदस्यीय कमिटी द्वारा किया जायगा। भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) - छिड़काव हेतु

डी.डी.टी. की दुलाई

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर

)—स्तम्भ—16/17

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — छिड़काव हेतु डी.डी.टी. की दुलाई जिला स्तर से प्रखण्ड मुख्यालय तथा प्रखण्ड मुख्यालय से ग्रामों तक की जाती है। अधिकांशतः जिलों में डी.डी.टी. जिला मुख्यालय में ही भंडारित है। लेकिन कुछ जिलों में प्रखण्ड स्तर पर भी पिछले छिड़काव के बाद डी.डी.टी. बचता है।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)—1000 रूपया From Dist. To PHC, 500 रूपया From PHC To Village

वित्तीय दिशा-निर्देशनचूँकि प्रखण्ड स्तर पर भंडारण का आँकड़ा राज्य मुख्यालय में नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मुख्यालय से प्रखण्ड तक दुलाई के निमित्त रुपये 1,000/- (एक हजार) प्रति कालाजार प्रभावित प्रखण्ड तथा प्रखण्ड से छिड़काव स्थल तक दुलाई के लिए रुपये 500/- (पाँच सौ) प्रति प्रभावित प्रखण्ड की दर से राशि का आकलन किया गया है। प्रति प्रखण्ड दुलाई की राशि का आकलन बजट तैयार की दृष्टि से किया गया है। अंकेक्षण दृष्टि से संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी जिला मुख्यालय से प्रखण्ड की दूरी के अनुसार नियमानुसार (अनुमोदित दर) दुलाई करायेंगे, साथ ही प्रखण्डों में उपलब्ध डी.डी.टी. को मद्देनजर रखते हुए दुलाई पर राशि का व्यय करेंगे दुलाई मद की राशि के व्यय पर नियंत्रण रखा जाएगा। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया डंडनंस के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

(क) SHSB Letter No. K/M/39-07/Part/1086 Dated 07.06.08 (ख) राज्य स्वास्थ्य समिति

द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) -छिड़काव पर होने वाले व्यय का मदवार विवरण

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर)-स्तम्भ-11/12/13

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) -छिड़काव में कार्य करनेवाले मजदूर विगत वर्षों में भी छिड़काव किये है, अतः छिड़काव मजदूरों के छिड़काव की तकनीकी जानकारी है, फिर भी मजदूरों को छिड़काव के पूर्व एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी छिड़काव के पूर्व एक दिन का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस में प्रशिक्षण को छिड़काव अवधि के मानव दिवस में गणना किया जाएगा।

ईकाई राशि(रु0 में)-573 रुपया / Team (1 SFW +5 FW) / Day

वित्तीय दिशा-निर्देशन- श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा छिड़काव मजदूरों के मजदूरी दर में संशोधन की गई है। संशोधित मजदूरी दर के अनुसार श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता को रुपये 86/- प्रतिदिन के बदले 113/- प्रतिदिन तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को रुपये 70/- प्रतिदिन के बदले 92/- प्रतिदिन मजदूरी दिया गया है। दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर, 2008 को राज्यस्तरीय बैठक में लिए गये निर्णयानुसार नये मजदूरी दर से मजदूरी का आकलन किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-


(क) SHSB Letter No. K/M/39-07/Part/1086 Dated 07.06.08 (ख) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर -98350-12758/94310-23237/94314-08454

2/





वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –कालाजार नियंत्रण

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – कार्यालय व्यय एवं
आक्समिकता

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर
)—स्तम्भ—14/15

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) – प्रत्येक छिड़काव दल में छिड़काव कार्य में प्रयोग होने वाले आवश्यक सामानों यथा गेरू मिट्टी, रजिस्टर, सादा कागज, पेन, छत्रा के लिए कपड़ा, ग्लव्स इत्यादि के निमित्त प्रति छिड़काव दल रुपये 150/- कार्यालय व्यय मद में एवं रुपये 150/- आक्समिकता मद में राशि का प्रावधान किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रत्येक छिड़काव दल को उपरोक्त सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस मद से जिला मुख्यालय में प्रयोग होनेवाले स्टेशनरी क्रय का भी प्रावधान है : -

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)—150 रूपया / Squad . 150 रूपया / Squad

वित्तीय दिशा-निर्देशन- प्रत्येक छिड़काव दल में छिड़काव कार्य में प्रयोग होने वाले आवश्यक सामानों यथा गेरू मिट्टी, रजिस्टर, सादा कागज, पेन, छत्रा के लिए कपड़ा, ग्लव्स इत्यादि के निमित्त प्रति छिड़काव दल रुपये 150/- कार्यालय व्यय मद में एवं रुपये 150/- आक्समिकता मद में राशि का प्रावधान किया गया है। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत कालाजार/मलेरिया Manual के अनुसार। 2. बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्णयानुसार 1 स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NRHM के Additionality मद से किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0- तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

(क) SHSB Letter No. K/M/39-07/Part/1086 Dated 07.06.08 (ख) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम- डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-23237/94314-08454